

दिल्ली विधान सभा  
समाचार भाग - 2

४विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ४  
सोमवार, 14 अक्टूबर, 1996 / आधिवन 22, 1918 शक् ४

सं. 290

सदस्यों को नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस, उत्तरो जिला, दिल्ली से दिनांक: 7. 10. 96, को निम्न-लिखित सूचना दिनांक: 7. 10. 96 को प्राप्त हुई :-

"दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 को धारा 65 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं यह अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मैं आपको सम्मान यह सूचित करूँ कि दिल्ली विधान सभा के निम्नलिखित सदस्य अपने 120 समर्थकों सहित, जिनमें 5 महिलाएँ शामिल हैं, सड़क पर रुकावटें पैदा करने और यातायात को रोके जाने से मना करने हेतु दिये गए पुलिस उपायुक्त, सिविल लाइन्स, दिल्ली के उचित निर्देशों का पालन न करने के कारण, परमानन्द ब्लाइंड अस्पताल के सामने, शामनाथ मार्ग से हटाए जायें।-

1. श्रो दीप चन्द बन्धु, विधायक
2. श्रो टेक चन्द, विधायक
3. श्रो ब्रह्म पाल, विधायक
4. श्रो शोश पाल, विधायक
5. श्रोमती ताजदार बाबर, विधायक
6. श्रो जग पुरेश चन्द्र, विधायक
7. श्रो राज कुमार चौहान, विधायक
8. श्रो परवेज दाश्मो, विधायक
9. श्रो रामवोर सिंह विधुइ, विधायक
10. श्रो मतोन अहमद, विधायक
11. श्रो स. के. वालिया, विधायक
12. श्रोमती कृष्णा तोरथ, विधायक

दिल्ली विधान सभा के उपरोक्त सदस्यों को तदनुसार शामनाथ मार्ग, परमानन्द ब्लाइंड अस्पताल के सामने से जहाँ उन्हें सड़क के किनारे 6 मिनट तक के लिए निरुद्ध रखा गया था। 7. 10. 96 को 11. 14 बजे प्रातः हटाया गया तथा यातायात में और अधिक रुकावटें न पैदा करने और मार्ग से शान्त-पूर्वक हट जाने से सहमत हो जाने के पश्चात उसों दिन प्रातः 11. 20 बजे रिहा कर दिया गया।"

पी. एन. गुप्ता  
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART - II

(General information relating to Legislative & other matters)

Monday, October 14, 1996/Ashvin 22, 1918 (Saka)

No. 290

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message dated 7.10.96 addressed to Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from the Addl. Deputy Commissioner of Police, North Distt., Delhi on 07.10.96 :-

"I have the honour to inform you that I have found it my duty in the exercise of my powers under section 65 of the Delhi Police Act, 1978 to direct the following members of Delhi Vidhan Sabha be removed from the Shambhunath Marg, opposite Parmanand Blind Hospital, Delhi for not obeying the reasonable directions of Asstt. Commissioner of Police, Civil Lines, Delhi to desist from blocking the road and to refrain from stopping the natural flow of Traffic alongwith the 120 followers including 5 ladies :-

1. Shri Deep Chand Bandhu, MLA
2. Shri Tek Chand, MLA
3. Shri Brahm Pal, MLA
4. Shri Shish Pal, MLA
5. Smt. Tajdar Babar, MLA
6. Shri Jag Parvesh Chandra, MLA
7. Shri Raj Kumar Chauhan, MLA
8. Shri Parvez Hashmi, MLA
9. Shri Ramvir Singh Bidhuri, MLA
10. Shri Matin Ahmed, MLA
11. Dr. A.K. Walia, MLA
12. Smt. Krishna Tirath, MLA

The above members of Delhi Vidhan Sabha were accordingly removed from Shambhunath Marg, opposite Parmanand Blind Hospital at 11.14 A.M. on 7.10.96 detained at Road side of Shambhunath Marg for 6 minutes and released on the same day at 11.20 A.M. after they and their followers agreed not to cause any further obstruction to traffic and to disperse peacefully."

P.N. GUPTA  
SECRETARY